कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 29/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री बजरंग मेधवाल पुत्र श्री लीलूराम, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता वी.पी.ओ. झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

----अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी भादरा

----प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः—31.05.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी भादरा के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी भादरा से सूचना मांगी गई। उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपीलार्थी को सूचना नही दी गई। अपीलार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी भादरा से अपील में जवाब प्राप्त नही हुआ है। अपीलार्थी के अपील के साथ उपखण्ड अधिकारी भादरा के पत्र कमांक 89 दिनांक 03.04.2018 की प्रति संलग्न है जिसका अवलोकन करने से उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचना दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official